तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	

एकल–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण संख्या–2004/4145)
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अप्रार्थी (प्रकरण संख्या–2004/4146)

श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी (प्रकरण संख्या–2009/2689)
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी (प्रकरण संख्या–2009/2690)

दिनांक : 17 फरवरी, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 22–11–2003 (प्रकरण संख्या–69/1998 व प्रकरण संख्या–70/1998) तथा निर्णय दिनांक 5–3–2009 (प्रकरण संख्या–105/2008 व प्रकरण संख्या–106/2008) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– उपर्युक्त चारों निगरानियां एक ही भूमि व पक्षकारों से सम्बन्धित होने के कारण इनका निर्णय एकसाथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ के ग्राम गुड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 124, 125, 126 व 241 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा तथा ग्राम गुड़ा खेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर–101 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा का खातेदार गोकुल जाट था। गोकुल का स्वर्गवास सन् 1978 में हो गया था। उसकी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृत्यु के उपरान्त विरासतन नामान्तरकरण भैरूलाल को दत्तक पुत्र मानते हुये खोल दिया गया। इस संबंध में एक अपील संख्या–101/1984 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा ने स्वीकार कर लिया और नामान्तरकरण निरस्त कर ग्राम पंचायत को पुनः नामान्तरकरण खोलने के निर्देश दे दिये। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने अपील संख्या 7/1986 में दिनांक 31–10–1987 को निर्णय पारित किया जिसके अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–315 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, सहाड़ा को प्रतिप्रेषित कर मृतक गोकल जाट के जायज वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण खोलने बाबत दिशा निर्देश जारी किये थे। 4– उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार, सहाड़ा ने मृतक गोकुल के वारिसान की जांच की और दिनांक 10–12–1987 को निर्णय पारित किया जिसमें श्रीमती बरजी पत्नी मोहनलाल जाट को मृतक गोकुल पुत्र जोधा की वारिस माना। इस निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–336 दिनांक 19–12–1987 खोला गया जिसके अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर–124, 125, 126, 241 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा पर मु0 बरजी पत्नी मोहनलाल के नाम खोल दिया गया। इसी तरह नामान्तरकरण संख्या–374 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा पर भी मु0 बरजी पत्नी मोहनलाल जाट के नाम दिनांक 19–12–1987 को नामान्तरकरण खोल दिया गया। 5– उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/1988 न्यायालय भू प्रबन्ध व भू अभिलेख अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष भैरूलाल ने प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 2–6–1990 को हुआ जिसमें इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि मु0 बरजी मृतक गोकुल की जाईन्दा पुत्री नहीं थी बल्कि वह ''गैलड़'' संतान है जिसका उत्तराधिकार के तौर पर कोई अधिकार नहीं है। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा ने नामान्तरकरण संख्या–336 व 374 निरस्त कर भैरूलाल के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के निर्देश प्रदान कर दिये। 6– उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील संख्या–118/90 न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 12–10–1993 को पारित किया गया था जिसके विरूद्ध एक निगरानी संख्या–3/1994 व 4/1994 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय एकसाथ दिनांक 30–9–1998 को किया गया था। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में अंकित किया कि तहसीलदार सहाड़ा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण दिनांक 19–12–1987 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–135(2)के तहत खोले गये हैं जिनके विरूद्ध अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त का है और राजस्व मण्डल में दोनों नामान्तरकरण संख्या 336 व 374 निरस्त कर दिये गये। उक्त निर्णय की पालना में दो अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रस्तुत की गई जिनका निर्णय एक ही आदेश से दिनांक 5–3–2009 को किया गया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में दो अपील की गयी हैं। 7– राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 30–9–1998 के पश्चात तहसीलदार, सहाड़ा ने नामान्तरकरण संख्या–18 व 19 दिनांक 2–11–1998 तसदीक कर दिये जिसमें विवादित भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का नामान्तरकरण मु0 बरजी पत्नी मोहनलाल जाट के नाम खोल दिया जिसके विरूद्ध दो अपील संख्या–69/1998 एवं 70/1998 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रस्तुत की जो स्वीकार कर ली गयी और नामान्तरकरण संख्या–18 व 19 निरस्त कर दिये गये जिनके विरूद्ध दो अपील संख्या–2004/4145 व 2004/4146 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार राजस्व मण्डल में चार अपीलें विचाराधीन हैं जिनका निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है। 8– बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 9– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मृतक गोकुल जाट की एकमात्र पुत्री मु0 बरजी है। वह मृतक गोकुल की जायज व एकमात्र वारिसान है। अप्रार्थी भैरूलाल गोकुल का कोई जाईन्दा पुत्र नहीं है, अपितु गोकुल के भाई का पुत्र है। कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही गोद में लेने देने की कोई रस्म संपन्न हुई। गोद पुत्र के रूप में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः मु0 बरजी ही मृतक गोकुल की एकमात्र पुत्री होने के कारण एकमात्र वह ही उत्तराधिकारी है जिसके पक्ष में तहसीलदार सहाड़ा ने सही नामान्तरकरण खोला था। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :– **(1) आरआरटी–2009(1) पेज–376, 381** **(2) आरआरडी–1996 पेज–521** **(3) डीएनजे–1995(1) (राज.) पेज–63** **(4) एआईआर–2009 पेज–122** 10– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **W.R.** **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुये कथन किया कि मु0 बरजी मृतक गोकुल की कोई जाईन्दा औलाद नहीं है। गोकुल के साथ विवाह / नाता के समय वह अपनी मॉ के साथ आई थी अर्थात वह ''गैलड़'' है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ''गैलड़'' को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में मु0 बरजी को चाहिये कि वह पहले अपने आप को मृतक गोकुल की उत्तराधिकारी घोषित करवाये। अप्रार्थी भैरूलाल चुंकि गोकुल व मु0 किशोरी का गोदपुत्र है इसलिये वह गोकुल का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण उसके हक में नामान्तरकरण खोला जाये। 11– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। 12– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मृतक गोकुल की खातेदारी में ग्राम गुड़ा में आराजी खसरा नम्बर 124, 125, 126 व 241 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा व ग्राम गुड़ा खेड़ा में आराजी खसरा नम्बर–101 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा दर्ज थी। गोकुल की मृत्यु सन् 1978 में होना बताया गया है। गोकुल की मृत्यु के पूर्व उसकी पत्नी मु0 किशोरी किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाते चली गई। गोकुल के कोई पुत्र नहीं था। जहां तक मु0 बरजी के गोकुल की पुत्री होने की बात है तो मु0 किशोरी अर्थात बरजी की मॉ ने एक शपथ पत्र न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी में प्रस्तुत कर कथन किया था कि वह गोकुल की बेटी नहीं है। जब मु0 बरजी की मॉ मु0 किशोरी स्वयं एक शपथ पत्र के द्वारा कथन कर रही है तो मु0 बरजी को मृतक गोकुल की पुत्री कैसे माना जा सकता है? इस प्रकरण में मु0 बरजी का स्टेटस ''गैलड़'' का है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ''गैलड'' को सम्पत्ति में कोई अधिकार हासिल नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	
	13– इस प्रकार स्पष्ट है कि मु0 बरजी पत्नी मोहनलाल मृतक गोकुल की जाईन्दा पुत्री नहीं है और अप्रार्थी भैरूलाल का भी कोई पंजीकृत / अपंजीकृत गोदनामा नहीं है। दोनों व्यक्ति ही निर्विवाद रूप से मृतक गोकुल के उत्तराधिकारी नहीं है। हमारा मत है कि उत्तराधिकार का प्रश्न सक्षम न्यायालय से निर्णीत होना चाहिये। तहसीलदार, सहाड़ा एवं राजस्व न्यायालय इसके लिये सक्षम न्यायालय नहीं हैं। इसलिये हम यह उचित समझते हैं कि उभय पक्ष पहले सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार का प्रश्न निश्चित करवायें। उभयपक्षों को चाहिये कि वे सक्षम न्यायालय में जायें और मृतक गोकुल का उत्तराधिकारी घोषित करवायें। इसके पश्चात जो भी व्यक्ति मृतक गोकुल जाट का उत्तराधिकारी घोषित हो, उसके नाम नामान्तरकरण खोल दिया जाये। इसलिये मृतक गोकुल की आराजी के संबंध में अब तक जितने भी नामान्तरकरण संख्या–336,374, 18, 19 या कोई और भी हैं वे सब निरस्त किये जाते हैं। सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी का विनिश्चय होने के उपरन्त ही नामान्तरकरण खोला जाये। तब तक तब भूमि मृतक गोकुल के नाम ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार, सहाड़ा यह सुनिश्चित करें। 14– अतः चारों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। पैरा नम्बर 13 के तहत दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये। चारों अपीलें बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	W.R. **(1) अपील / एलआर / 2004 / 4145 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(2) अपील / एलआर / 2004 / 4146 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(3) अपील / एलआर / 2009 / 2689 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल** **(4) अपील / एलआर / 2009 / 2690 / भीलवाड़ा** **बरजी बनाम भैरूलाल**	